संख्या-106/2026/I/1401168/2026/71-1002/69/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 22 जुलाई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु राज्यांश के रूप में अव्यतित धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/पी0एफ0एम0एस0/2026-27/34, दिनांक 19.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत SLS UP-300 (Establishment of Nursing Colleges.) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिर्ज़ापुर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज हेतु वांछित राज्यांश की अव्यतित धनराशि रू0 1.3333 करोड़ को SNA स्पर्श पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-51/2024/I/516984/2024/71-1002/8/2024, दिनांक 12.03.2024 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 992.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-160/2024/I/822725/2024/71-1002/69/2023, दिनांक 16.12.2024 द्वारा रू0 133.3333 लाख की धनराशि राज्यांश के रूप में अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत SLS UP-300 (Establishment of Nursing Colleges.) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4210-03-105-0128-राजकीय मेडिकल कालेज/ स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में जमा की गयी अव्यतित धनराशि **रू0 133.33 लाख (रू0 एक करोड़ तैंतिस लाख तैंतिस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम स्वीकृत किये की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है। अर्थात् प्रकरण में प्रश्नगत धनराशि के भुगतान में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
5. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत प्रकरण में यदि कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायी होंगे।
7. राज्यांश के रूप में आवंटित की गयी धनराशि का उपयोग नियत तिथि तक न किये जाने के कारण निर्गत लिमिट समाप्त होने के उपरांत धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. परियोजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-51/2024/I/516984/2024/71-1002/8/2024, दिनांक 12.03.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,33,33,000 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-46/दस-2026-27, दिनांक 13 जुलाई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, जल निगम लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।